

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक : 12 दिसम्बर, 2017


विषय :- बिहार विधान मंडल की सत्रावधि एवं माननीय मुख्य मंत्री के भ्रमण कार्यक्रम की अवधि में अवकाश आवेदन समर्पित नहीं किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विधानमंडलीय सत्रावधि और माननीय मुख्य मंत्री के भ्रमण की अवधि में वरीय क्षेत्रीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की दायित्व पर उपस्थिति आवश्यक होती है । फलस्वरूप, उक्त अवधि में अवकाश संबंधी याचनाओं पर विचारण संभव नहीं होता है ।

2. अतः अनुरोध है कि विधानमंडलीय सत्रावधि और माननीय मुख्य मंत्री के भ्रमण की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश आवेदन समर्पित नहीं किया जाय । पूर्व समर्पित आवेदन प्रस्तावित अथवा निर्धारित कार्यक्रम/पुनरीक्षित अथवा संशोधित कार्यक्रम से आच्छादित होता हो, तब उसे भी आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित कर लिया जाय । अधीनस्थ अधिकारियों के आलोच्य आवेदनों पर तदनुसार ही विचार किया जाय ।

विश्वासभाजन,


12-12-17
सरकार के अवर सचिव